छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1069/2008

1. श्री नरेन्द्र सिंह चावला, – *अपीलार्थी*
सदर बाजार, बलौदा बाजार,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय मा0 कुलाधिपति राजभवन सचिवालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 06 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री नरेन्द्र सिंह चावला द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 13.06.2008 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मा0 कुलाधिपति राजभवन सचिवालय, रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 22.07.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.08.2008 को आदेश पारित किया गया, उक्त पारित आदेश से असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 22.09.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में पूर्व में जॉच अधीन होने और उच्च शिक्षा विभाग से प्रतिवेदन नहीं आने के कारण अपीलार्थी को अंतरिम उत्तर भेजा गया था, जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, अतः निर्देश दिये गये थे कि संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण करा दिया जावे और उच्च शिक्षा विभाग से शीघ्र जॉच पूर्ण कराकर अंतिम परिणामों से एक माह के अन्दर अवगत कराया जावे। प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को उभय पक्ष की सुनवाई के दौरान प्रति अपीलार्थी द्वारा यह बताया गया कि प्रकरण में लोक आयोग में जॉच प्रचलित है, अतः धारा–8(1)(एच) के अन्तर्गत उक्त जानकारी देना संभव नहीं होगा। अपीलार्थी ने लिखित तर्क में बताया है कि उन्हें उच्च शिक्षा विभाग और लोकायुक्त कार्यालय के रिकार्ड की प्रति नहीं चाहिए बल्कि राजभवन सचिवालय/कुलाधिपति कार्यालय की चाही गई जानकारी से संबंधित जो अभिलेख है और जिसका निरीक्षण कर चुके हैं, केवल उसकी प्रति चाहिए तथा लोक आयोग की जॉच में किसी प्रकार के अभियोजन अथवा जॉच में कोई बाधा पहुंचने की संभावना नहीं है, अतः धारा–8(1)(एच) का लाभ देना उचित नहीं होगा। इस संबंध में अपीलार्थी का तर्क सही प्रतीत होता है, क्योंकि उन्हें राजभवन सचिवालय में इससे संबंधित जो अभिलेख है, उसकी प्रति चाहिए और उसे दिये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नहीं होती तथा धारा–8(1)(एच) के अन्तर्गत छूट योग्य प्रतीत नहीं होती है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उन्हें 15 दिवस के अन्दर राजभवन सचिवालय/कुलाधिपति कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड में से निःशुल्क दी जावे। प्रकरण में किसी प्रकार की शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

3/ उपरोक्त निर्देश के साथ अपीलार्थी की उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com